103

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष–के0 सी0 जैन
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 522–दो/06 विरूद्ध आदेश दिनांक 01.03.2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण कमांक 438/ अपील/98–99.

शेख लल्लू उर्फ शेख सैफुल्ला मुसलमान
वल्द शेख मोहम्मद अब्दुल्ला
निवासी बैढ़न तहसील सिंगरौली
हाल जिला सिंगरोली म0प्र0

--- आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती भगवन्ती पुत्री दुलेश्वर कहार
निवासी बैढ़न तहसील सिंगरौली
हाल जिला सिंगरोली म0प्र0

--- अनावेदक

आवेदक अधिवक्ता श्री एस0 के0 अवस्थी
अनावेदक अनुपस्थित।

:: आ दे श ::

(आज दिनांक २१–9 –2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 438/ अपील/98-99 में पारित आदेश दिनांक 01.3.06 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2- प्रकरण का सारांश यह है कि विवादित आराजियों का वारिसाना नामांतरण तहसीलदार के द्वारा दिनांक 8.4.71 को पारित किया गया इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में आवेदन ने अपील प्रस्तुत की जहां पर दिनांक 27.10.76 को आवेदक की अपील निरस्त की गयी जिस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत होने पर दिनांक 27.10.76 को आवेदक को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवार देते हुये अपील को प्रत्यावर्तित किया गया। इसी प्रत्यावर्तित आदेश के पालन में तहसीलदार ने प्रकरण को पुनः साक्ष्य और सुनवाई करते उसे अपने पूर्व आदेश दिनांक 8.4.71 को कायम रखा । इस आदेश के विरूद्ध आवेने ने अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील की यहां पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। जिसके विरूद्ध यह द्वितीय अपील अपर आयुक्त के न्यायालय में प्रस्तुत जो दिनांक 1.3.2006 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3- आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि अनावेदिका के कथित पिता द्वारा दिनांक 14.5.48 को विक्रय कर देने व मौके पर समस्त स्वत्व आधिपत्य का हस्तांतरण कर देने के कारण पूर्व भूमिस्वामी दुलेश्वर की मृत्यु की तिथि को कोई हक व अधिकार विवादित भूमि पर शेष ही नही थे। जिस कारण अनावेदिका के हक में वारिसानाहक कानूनन

हासिल नहीं हो सकता, फिर भी पूर्व भूमिस्वामी के अंतरण के पश्चात भी वारिसाना नामांतरण प्रमाणित कर व उस पर हस्तक्षेप न कर अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है। अनावेदिका के कथित पिता की मृत्यु सन् 1950 में हुई और मृत्यु निसंतान हुई, तत्समय प्रचलित रीवा राज्य माल कानून के आधार पर अनावेदिका को कतई कोई हक व अधिकार हासिल नहीं होते। उनके द्वारा आगे अपने तर्क में कहा है कि अनावेदिका दुलेश्वर की पुत्री ही नही है बल्कि अनावेदिका की मां अनावेदिका को लेकर दुलेश्वर की जौजियत में रखैल पत्नी के रूप में आ गई थी, इसलिये अनावेदिका को मृत भूमिस्वामी दुलेश्वर का वारिसाना व उत्तराधिकारी हक हासिल होनेका प्रश्न ही नहीं उठता परन्तु ऐसा न मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में आगे कहा गया है कि विवादित भूमि के विक्रय के पश्चात हा बन्दोवस्त यानी वर्ष 1958-59 की खतौनी में आवेदक के पिता शेख अब्दुल्ला के नाम स्वत्व अधिपत्यधारी के रूप में प्रविष्टि है जिस पर कभी कोई आपत्ति किसी के द्वारा नहीं की गई, और इस तरह म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 123 के अधीन वर्ष 1958-59 की खतौनी आवेदक के हक अधिकार 'व कब्जे दखल बावत एक निश्चयात्मक दस्तावेज हैं अलावा इसके बाद के खसरेजात में भी आवेदक का आधिपत्य प्रमाणित है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया है।

4- आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अवलोकन किया तथा वारीकी से अध्ययन किया। अभिलेखों का अवलोकन कर पाया कि विवादित आराजी के भूमिस्वामी दुलेश्वर कहार की मृत्यु 1950 में हो गयी थी। आवेदक सन् 1948 में 95/- रूपये की बेची टीप के आधार पर विवादित आराजी को क्रय करना कहता है लेकिन 1948 से 1971 तक नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत क्यों नहीं किया? उसके द्वारा आवेदन पत्र में कोई स्पष्ट उललेख नहीं किया तथा इतनी लंबी अवधि के बाद नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना संदेहात्मक प्रतीत होता है। यदि विवादित आराजी पर आवेदक का कोई कब्जा होता तो निश्चित रूप से लगान की रसीदें प्रस्तुत करता लेकिन प्रकरण में कोई लगान की रसीदें संलग्न नहीं है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिवत विवेचना की जाकर आदेश पारित किये है । अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझता हूँ । परिणामस्वरूप अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 1.3.06 स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से निरस्त की जाती है।

(के. सी. जैन)
सदस्य
राजस्व मण्डल म0प्र0
ग्वालियर